निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 91/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )

1. नीता गुप्ता पत्नी श्री अनिल गुप्ता जाति महाजन निवासी 31, आर एस ई बी कालोनी, वार्ड नं॰ 3 जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. लालाराम पुत्र मोहरू
2. मूलचन्द पुत्र सराला
3. ग्यारसी लाल पुत्र लालाराम
4. गोपाल पुत्र लालाराम
5. ईश्वर पुत्र लालाराम
6. रमेश पुत्र लालाराम
7. बाबूलाल पुत्र सराला

   जाति माली निवासीगण महादेवरिया की ढाणी, सांगानेर, जयपुर ।
8. श्री युगान्तर शर्मा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2019 ब उनवानी लालाराम बनाम नीता गुप्ता व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री राजेश कुमार रूहेला अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 17-9-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 30/2019 ब उनवानी लालाराम बनाम नीता गुप्ता व अन्य विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थिया की ओर से दिनांक 03.07.2019 को नये अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया तथा पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी हेतु दिनांक 05.07.2019 नियत की गई। उक्त दिवस को न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुन कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया । प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा, प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे का जबाब उल जबाब प्रस्तुत किया गया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा जबाब उल जबाब रिकार्ड पर लिये जाने बाबत कोई आवेदन

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रस्तुत नही किया गया तथा कानूनन जबाब उल जबाब का रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता से कहा गया कि उक्त आपत्ति करने हेतु मै समय नहीं दे सकता तथा उक्त जबाब उल जबाब विड्रो कर लेंगे। तब अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण की सहमति से जबाब उल जबाब रिकार्ड से हटाने हेतु अपनी सहमति प्रकट की। तत्पश्चात प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि उनके द्वारा उक्त वाद से जबाब दावा प्रस्तुत किया गया है तथा अप्रार्थीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया इस कारण उक्त वाद में तनकियात बनाये जाने व अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी तारीख पेशी दी जावें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया के अधिवक्ता से कहा गया कि मै उक्त में तनकियात कायम नहीं करूंगा तथा प्रारम्भिक डिकी उक्त वाद में पारित करूंगा तब प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आप कानून से बहार जा कर कार्यवाही नहीं कर सकते है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थिया के अधिवक्ता को कहा गया कि आप कानून बनाने वाले कौन होते है, मुझे पत्रावली में निर्णय करना है तथा जो मुझे करना है मैं करके रहूंगा। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के व्यवहार एवं पत्रावली की आदेशिका से यह साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में है। अप्रार्थीगण भी कई मर्तबा प्रार्थी को कह चुके है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है तथा वे शीघ्र उक्त वाद का निर्णय अपने मन माफिक करवा लेंगे। विधि अनुसार किसी दावे में प्रतिवादी द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात दावे का निस्ताण विवाधक बना कर ही निर्णित किया जा सकता है, किन्तु प्राथी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर भी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में बदनियति पूर्वक प्रारम्भिक डिकी के आदेश पारित करने को आमादा है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आदेश भी नहीं लिखवाया गया है, जिससे साफ जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थीगण के प्रभाव में आकर अप्रार्थीगण के विरूद्व जबाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त भी विवाधक रचित किये बिना ही प्रारम्भिक डिकी पारित करने पर आमादा है । इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। दिनांक 5.7.2019 को प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही ना करने हेतु निवेदन किया तथा अग्रिम कार्यवाही ना करने बाबत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जान हेतु आमादा हो रहे है । ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से वकील श्री रामधन चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 5.7.2019 को ही प्राथिमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित किया जा चुका है। जबकि प्रार्थिया द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 9.7.2019 को पेश किया गया है। इससे प्रार्थिया के कथन को बल नही मिलता है। प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

7. निर्णय आज दिनांक 17-9-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर